



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112024-259001
CG-DL-E-28112024-259001

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4731]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 28, 2024/अग्रहायण 7, 1946

No. 4731]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 28, 2024/AGRAHAYANA 7, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2024

आयकर

का.आ. 5121(अ).—केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 194ड के पांचवें परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के पश्चात्, यह निर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 194ड के प्रावधान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा विधिवत् अनुमोदित विदेशी अभ्यावेदनों पर लागू नहीं होंगे, जिनमें राजनयिक मिशन, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वाणिज्य दूतावास और मानद वाणिज्यदूतों के कार्यालय शामिल हैं, जिन्हें राजनयिक संबंध (वियना कन्वेंशन) अधिनियम 1972 (1972 का 43) और संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम 1947 (1947 का 46) के अनुसार भारत में करों का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।

2. यह अधिसूचना 1 दिसंबर, 2024 से लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 123/2024/फा. सं. 275/39/2021-आईटी(बी)]

रुबल सिंह, उप सचिव (आईटी-बजट)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th November, 2024

INCOME-TAX

S.O. 5121(E).—In exercise of the powers conferred by the fifth proviso to section 194N of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India, hereby specifies that the provisions of section 194N of the said Act shall not apply to Foreign Representations duly approved by the Ministry of External Affairs of the Government of India including Diplomatic Missions, agencies of the United Nations, International Organisations, Consulates and Offices of Honorary Consuls which are exempt from paying taxes in India as per the Diplomatic Relations (Vienna Convention) Act 1972 (43 of 1972) and the United Nations (Privileges and Immunities) Act 1947 (46 of 1947).

2. The notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of December, 2024.

[Notification No. 123/2024/F. No. 275/39/2021-IT(B)]

RUBAL SINGH, Dy. Secy. (IT-Budget)